

6A

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार (राजस्थान)
श्रीविजयनगर

202

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्थान श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
सरकार बनाम हरनेक सिंह / करनैल सिंह जटसिरव सा 6APD
किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 3119 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
18/02/19	<p>पटवारी हल्का 6APD ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 5APDA के मुरब्बा नं. 233 के 2-530 बीघा, भूमि रकबा 391 राज है जिस पर श्री <u>हरनेक सिंह</u> पुत्र श्री <u>करनैल सिंह</u> जाति <u>जटसिरव</u> ने अतिक्रमण कर सम्वत् 2075 फसल <u>खैर</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>01/03/19</u> को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

30/5/19

प्रागवली उद्युत दुई ! ICR हल्ला 85TB द्वारा
 रवीश्वर शुभा गिलानी पाके उद्युत की गई निलामी
 पाके मे रवीश्वर लोनिदावा भादुरराम श्री सुधीराम
 भावि बावरी निवासी 24PD की 1000/- रुपये की रकम
 उक्त बोली स्वीकार की गई। ICR द्वारा निलामी
 राशी आरिष चालान करणों 102 दिनांक 30/5/19
 द्वारा राजकोष मे जमा करवा के गई है। भा मंठा
 दर्ज लेखा की जावे। पत्वारी हल्ला द्वारा अविस्की
 को उक्त रकमों की बदरबल कर गवान राशी वसुल
 कर ली गई है। प्रागवली मे राष कापवायी अपेक्षित
 नहीं है। अतः प्रागवली पोसला सुमार होकर वाखिल
 दाफतर ही। —

अधिकारी
 30/5/19

य रजिस्टर की पृष्ठ सं. 18.. क्रम संख्या 21...
 दिनांक 30/5/19 राशि .. 10000... दर्ज किया।

1/2

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं० 31/2019 वर्ष 2019

राजस्थान सरकार बनाम इरफाक (पुत्र) करनल (पुत्र)

प्रस्तुतिकरण दिनांक 18/21/2019 निर्णय दिनांक 7/3/2019

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
7/3/19	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् 2075 में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का CAPD का प्रतिवेदन दिनांक 18/21/19 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी इरफाक पुत्र करनल (पुत्र) जाति सिट्टिका निवासी CAPD को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक SHADA मु.नं. 233/391 कुल 2.530 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 202 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 S.S.T.B को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बंदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 7/3/2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 14 की क्रम सं. 04 दिनांक 14.3.19 को 202 दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">B ता०रा०ले०</p>	